

o 4/Apr/2014/120
3.A.2014
1 PM

[प्रारूप 2 क.]

(नियम 4 देखिए)

नाम निर्देशन पत्र

लोक सभा के लिए निर्वाचन

नीचे भाग 1 या भाग 2 इनमें से जो भी लागू न हो उसे काट दें।

भाग - I

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल द्वारा खड़ा किए गये आधारी द्वारा इयुक्त किया जाना है।

मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक सभा के निर्वाचन के लिए एक आधारी के रूप में नाम निर्दिष्ट चरता हूँ।

आधारी का नाम.....पिता/माता/पति का नाम.....

इनका डाक पता.....

इनका नाम.....राजनीतिक निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट.....(विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचक नामांगली के भाग संख्या.....में कर्न

संख्या.....पर प्रविष्ट है।

मेरा नाम.....है जो.....संसदीय

निर्वाचन क्षेत्र में समाविष्ट.....विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र की

निर्वाचक नामांगली के भाग.....ने क्रम संख्या.....पर प्रविष्ट है।

दिनांक.....प्रस्तावक के हस्ताक्षर

भाग - II

मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल हमारा नहीं खड़ा किए गये अमर्थी द्वारा प्रयुक्त किया जाने के लिए।

इस एतद हमारा **१ अररीया** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से लोक रामा के निर्वाचन के लिए एक अमर्थी के रूप में नाम परिदिष्ट यज्ञो है।

अमर्थी का नाम **सौंध अलमदार दुर्गेन** पिला/मूला/छवि का नाम **स्व. सौंध बफर दुर्गेन**
 उसका डारु पता **ग्रा. सीपाठपुर, पो. मीसनपुर, थाना. आटियापुर**
 जिला-**मुजफ्फरपुर**
 उसका नाम **१५ मुजफ्फरपुर** संसदीय निर्वाचन क्षेत्र **पांचहों (अ.जा.)**

(में समायिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र) की निर्वाचन नामावली के भाग स. **४२** ने क्रम

संख्या **४२** पर प्रविष्टि है।

हम घोषणा करते हैं कि हम उपरोक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक हैं तथा हमारा नाम उक्त संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए निर्वाचक नामावली में प्रविष्ट है जैसे कि नीचे उपर्युक्त है और हम इस नाम निर्देशन की सहमति के एवज में अपना हस्ताक्षर नीचे करते हैं।

प्रताव लेने वाले व्यक्तियों का विवरण तथा उनके हस्ताक्षर

क्रम सं०	प्रतावक की निर्वाचक नामावली संख्या			पूरा नाम	हस्ताक्षर	तारीख
	/विधान रामा निर्वाचन क्षेत्र खण्ड का नाम	निर्वाचक नामावली की भाग संख्या	उस भाग संख्या में क्रम संख्या			
1	2	3	4	5	6	7
1	५१, अररीया	१८४	४२	मेरज अलम	Meraj Alam	
2	५१, अररीया	१८४	११३	मो. कॉनैन	Mohd. Khanan	
3	५१, अररीया	१८४	१६८	मो. साथीर	Mohd. Sathir	
4	५१, अररीया	१८४	१६९	मो. सादिक	Sadiq	
5	५१, अररीया	१८४	१९९	मो. जन्जर अमम	Janjar Amam	
6	५१, अररीया	१८४	२२५	मो. मराज	Muraj	
7	५१, अररीया	१८४	४५९	अफ़ज़ल	Afzal	
8	५१, अररीया	१८४	३५८	बहारउद्दीन	Baharuddin	
9	५१, अररीया	१८४	६७३	किरण	Kiran	
10	५१, अररीया	१८४	९३३	कुम्बान	Kumban	

टिप्पणी : प्रतावक के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के १० (दस) निर्वाचक होने चाहिए।

भाग - III

में भाग I / भाग II (जो लागू न हो उसे काट दे) में संलेखित अधर्थी इस नाम निर्देशन की अनुसार देता हूँ तथा एतद् द्वारा यह घोषणा करता हूँ कि -

(क) मैंने **38** वर्ष की आयु पूर्ण कर ली है।

निम्नलिखित उ (i) एवं (ii) में से जो भी लागू न हो उसे काट दे।

(ख) (i) कि मैं इस निर्वाचन में **शूल्य** दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ जो कि इस राज्य में एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल/राज्य दल है और उपरोक्त दल के लिए आरक्षित प्रतीक गुण आवंटित किया जाय।

या

(ii) कि मैं इस निर्वाचन में **निर्दलीय** दल द्वारा खड़ा किया गया हूँ जो एक पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल है। मैं यह निर्वाचन एक निर्दलीय अधर्थी के रूप में लड़ रहा हूँ (जो लागू न हो उसे काट दे) तथा मैंने अधिगान्य ग्रन्थ में

(i).1 **अलमसिरी** (ii) **45. अंगार** (iii) **68. कृष्णा**

प्रतीक चुना है।

(ग) कि मेरा नाम तथा मेरे पिता/माता/पति के नाम की उपर अंकित वर्तनी **देवनागरी** में (गाथा का नाम) लगी है।

(घ) अपनी सर्वात्म ज्ञानकारी और विष्वास के अनुसार मैं लोक सभा का स्थान भरने के लिए चुने जाने हेतु अहित हूँ और निरहित भी नहीं हूँ।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि मैं **सामाजिक** जाति/जनजाति का सदस्य हूँ जो **शूल्य** राज्य के उस

उस राज्य में के **शूल्य** (क्षेत्र) **शूल्य** से संबंधित अनुसूचित **शूल्य**

जाति/जनजाति है।

मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि लोक सभा के पर्यावान में साथ में होने वाले "सामाज्य निर्वाचन/उप-निर्वाचनों के लिए दो से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों से नाम निर्दिष्ट नहीं हुआ हूँ या किया जाऊँगा।

Syed Anand Dar Hussain

दिनांक **3-11-2014**

अधर्थी के हस्ताक्षर

* जग्नु तथा कभीर, अंडमान सम्बन्ध निकोबार हीप, चण्डीगढ़, दादर तथा नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष्मीप की दर्शा में सामाजिक विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र शब्दों को काट दीजिए

* * यदि लागू न हो तो इस पैराग्राफ को काट दीजिए

* * * यदि लागू न हो तो उन शब्दों को काट दीजिए

/ जग्नु तथा कभीर, अंडमान और निकोबार हीप, चण्डीगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन और दीव तथा लक्ष्मीप के गामले में लागू नहीं होगा

टिप्पणी : मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से पार्टी संबंधित राज्य में निर्वाचन प्रतीक (आलमण तथा आवंटन) आदेश 1968 के अधीन निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल।

भाग III – क

(अभ्यर्थी द्वारा भरा जायगा)

वया अभ्यर्थी –

- (i) को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 (1951 का 43) की धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध (आपराधों) में, या
 (ii) की उप धारा (2) में विनिर्दिष्ट पिधि के उल्लंघन के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है, या
- (iii) उसे किसी अन्य अपराध (अपराधों) में दोषी पाया, जिसके लिए उसे दो बड़ी या उससे अधिक के कारावास से दंडित किया गया है।
 यदि उत्तर "हाँ" है तो अभ्यर्थी को निम्नलिखित सूचनाएं देनी होंगी।

हाँ / नहीं

- (i) मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट सं./सं. **२५५**
- (ii) पुलिस रेप्रेन्ट २५५ जिला (जिले) २५५ राज्य २५५
- (iii) संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धारायें) तथा अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके लिए उसे सिद्ध दोष ठहराया गया था **२५५**
- (iv) दोष सिद्धि की तारीख (तारीखें) **२५५**
- (v) वह न्यायालय (न्यायालयों) जिसने अभ्यर्थी को सिद्ध दोष ठहराया था **२५५**
- (vi) अधिरोपित दण्ड कारावास (कारावासों) की कालाताहि इग्नित करें तथा / या चुनाने की राशि उपदर्शित
- (vii) कारावास से छूटने की तारीख (तारीखें) **२५५**
- (viii) क्या उक्त दोष सिद्धियों के विळद्द कोई अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई थी / थीं
- (ix) अपील (अपीलों) पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का विवरण तथा तारीख
- (x) न्यायालय का नाम जिसके समक्ष अपील (अपीलों) / पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) के लिए आवेदन दाखिल किया गया **२५५**
- (xi) क्या उक्त अपील (अपीलों) / पुनर्विचार याचिका (याचिकाएँ) का निपटारा कर लिया गया है या वे / वह अभी लाभित हैं **२५५**
- (xii) यदि उक्त अपील (अपीलों) / पुनर्विचार याचिका (याचिकाओं) का निपटारा हो गया है तो
 (क) निपटारे की तारीख (तारीखें) **२५५**
 (ख) पारित आदेष (आदेशों) का प्रकार (की प्रकृति) **२५५**

दिनांक 3-6-2014

रक्षण अ/2/2017

SYED AIAMDAR HUSSAIN

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

भाग — IV

(रिटर्निंग अधिकारी द्वारा भरा जाए)

नाम निर्देशन पत्र की लम्ब सख्ति 09/H.P./2014/R.O. यह नाम निर्देशन पत्र गुड़ो मेरे कार्यालय में
03.04.2014 (तारीख) को 5.00 ~~कृष्ण~~ रुपजे को अध्यर्थी / प्रदाता द्वारा दिया गया।

दिनांक 03.04.2014
जो शब्द लागू न हो उसे काट दें।



निवासी नं. १४
09-अररिया ससदाय ब्र
सह-जिला पदाधिकारी, अररिया

भाग — V

नाम निर्देशन पत्र रवीकार या अखीकार करने के लिए रिटर्निंग अधिकारी का विनिष्पय
मैंने, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 36 के अनुसार इस नाम निर्देशन पत्र को जाँच लिया है
और मैं निम्नलिखित रूप में विनिष्पय करता हूँ :—

दिनांक _____
(छिद्रण) _____

रिटर्निंग ऑफिसर

“प्ररूप 26”
(नियम 4 के देखिए)



निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) १ अररीग्ना (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटार्निंग ऑफिसर के समक्ष अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथपत्र

भाग-क

मैं स्येद अलमदार हुसैन **पुत्र/पुत्री/पत्नी स्व. स्येद जफर हुसैन आयु
वर्ष. जो लाम रीपांड्डु पो. गीर्खनपुर धाना. अदीबपुर
ज़िला. मुजफ्फरपुर

(डाक का पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अभ्यर्थी हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा
करता हूं/करती हूं शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं—

(1) मैं स्वतंत्र (**राजनीतिक दल का नाम) द्वारा खड़ा किया गया अभ्यर्थी/

** एक स्वतंत्र अभ्यर्थी के रूप में लड़ रहा हूं।

(**जो लागू न हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम १। बौद्धी (झ.जा.) मिहार (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में
भाग सं. ४२ के ग्राम सं. ५२ पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलिफोन नं. ९६५१०७१५८१ है/हैं और मेरा ई-मेल आईडी (यदि कोई हो
तो) ईमेल है एवं मेरा सोशल गीडिया एकाउंट्स
(अगर कोई हो) है. ईमेल

SYED ALAMDAAR HUSSAIN

(4) स्थाई लेखा संख्यांक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिधिति:

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय(रूपए में)
1.	रवय	ABZPH92 84 P	2012 - 2013	₹ 146000/-
2.	पति या पत्नी	शूङ्घ	शूङ्घ	शूङ्घ
3.	आश्रित-1	शूङ्घ	शूङ्घ	शूङ्घ
4.	आश्रित-2	शूङ्घ	शूङ्घ	शूङ्घ
5.	आश्रित-3	शूङ्घ	शूङ्घ	शूङ्घ

(5) मैं ऐसे किसी लंबित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त नहीं हूं जिसमें सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का/की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/करेगी:-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लंबित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/किए गए हैं।

(क)	मामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	शूङ्घ
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का रॉकेप्ट विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	शूङ्घ
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	शूङ्घ
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपों) की विरचना की गई	शूङ्घ
(ङ)	तारीख (तारीखें) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	शूङ्घ
(च)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोकी गई है/हैं	शूङ्घ

SYED ALAMUDIN Hussain

(ii) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लिखित हैं/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है
 {पूर्वोक्त}

मदद (i) में वर्णित मामलों से भिन्न}:-



(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	2४३
(ख)	उन मामलों के ब्यौरे, जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	2४४
(ग)	*पर्युक्त आदेश(आदेशों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई लो) के ब्यौरे	2४५

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा(1) या उपधारा(2) में निर्दिष्ट उपधारा(3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध(अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है:

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडाविष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है:

(क)	उन मामलों के ब्यौरे, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है	2४३
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	2४४
(ग)	अधिरोपित दंड	2४५
(घ)	यस सिद्धदोष ठहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के ब्यौरे और वर्तमान प्रारिथमि	2४६

(7) मैं मेरे, गेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और स्थावर आदि) के ब्यौरे नीचे देता हूं

अ. जंगम आस्तियों के ब्यौरे—

टिप्पण 1— संयुक्त रवानित्य की सीमा उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— जमा/विनिधान की दशा में क्रम सं., रकम, जमा की तारीख, स्कीम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित ब्यौरे दिए जाने हैं।

SYED ALAMIDAR Hussain

टिप्पणि ३— सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में बंधपत्रों/शेयर डिवेचरों का मूल्य रटोंक एक्सचेजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखाघातियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पणि ४— यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पणि ५— रकम राडित व्यौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकतया दिए जाने हैं।

क्रम सं	विवरण	स्थाय	पति या पत्नी	आश्रित-१	आश्रित-२	आश्रित-३
(i)	हाथ में नकदी	₹ 35000/-	शूङ्घ	शूङ्घ	शूङ्घ	शूङ्घ
(ii)	बैंक खातों में जमा व्यौरे (नियत जमा, आवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी है), वित्तीय रास्थाओं, गैर बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	पालूखाना- संरच्छा 46642011 0000523 फैक्टोफ इंडिया मुजफ्फरपुर ₹ 40000/-	शूङ्घ	शूङ्घ	शूङ्घ	शूङ्घ
(iii)	कंपनियों/पारस्परिक निधियों और अन्य में बंधपत्रों, डिवेचरों/शेयरों तथा यूनिटों में विनिधान के व्यौरे और रकम	शूङ्घ	शूङ्घ	शूङ्घ	शूङ्घ	शूङ्घ
(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पॉलिसियों ने विनिधान के व्यौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्हीं वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	शूङ्घ	शूङ्घ	शूङ्घ	शूङ्घ	शूङ्घ
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें कर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए वैयक्तिक ऋण/अप्रिम और ऋणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	शूङ्घ	शूङ्घ	शूङ्घ	शूङ्घ	शूङ्घ
(vi)	मोटरव्हान/चायुयान/याट /पोत (मेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	शूङ्घ	शूङ्घ	शूङ्घ	शूङ्घ	शूङ्घ
(vii)	जेवरात, बुलियन और मूल्यवान वस्तु(वस्तुएं) (भार और मूल्य के व्यौरे)	शूङ्घ	सोना - 250ग्रा. चांदी - 500ग्रा.	शूङ्घ	शूङ्घ	शूङ्घ
(viii)	कोई अन्य आस्तियां जैसे कि दावों/हित का मूल्य	शूङ्घ	शूङ्घ	शूङ्घ	शूङ्घ	शूङ्घ
(ix)	समय कुल मूल्य	₹ 10000/- ₹ 60000/-	शूङ्घ	शूङ्घ	शूङ्घ	शूङ्घ

SYED ALAM DADA Hussain

आ. स्थावर आस्तियों के ब्यौरे

टिप्पण 1— संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक भूमि या भवन या अपार्टमेंट का इस प्ररूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं.	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(i)	भूमि की अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं) क्षेत्र(एकड़ में कुल माप) क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	२५०५	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२५०५	२५०५	२५०५	२५०५	२५०५
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	२५०५	२५०५	२५०५	२५०५	२५०५
	विकास संनिर्माण आदि के गाध्यम भूमि पर कोई विनिधान	२५०५	शून्य	२५०५	२५०५	२५०५
	अनुमानित बाजार मूल्य	२५०५	२५०५	२५०५	२५०५	२५०५
(ii)	गैर कृषि भूमि: अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं) क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप) क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	जा. सीपाइपपुर थमा-अदीपापुर मुजफ्फरपुर	२५०५	२५०५	२५०५	२५०५
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	२५०५	२५०५	२५०५	२५०५	२५०५
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	२५०५	२५०५	२५०५	२५०५	२५०५
	विकास संनिर्माण आदि के गाध्यम भूमि पर कोई विनिधान	२५०५	२५०५	२५०५	२५०५	२५०५
	अनुमानित बाजार मूल्य	₹ ३०००००	२५०५	२५०५	२५०५	२५०५
(iii)	वाणिज्यिक भवन (अपार्टमेंट सहित अवस्थिति (अवस्थितिया) सर्वेक्षण संख्यांक(संख्याएं) क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप) निर्मित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप) क्या विरासत में आई संपत्ति है(हां या नहीं)	२५०५	२५०५	२५०५	२५०५	२५०५

SYED ALAMDAAR HUSSAIN

	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के नाथ्यम से संपत्ति पर कोइ विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(IV)	आवासीय भवन (अपार्टमेंट सहित): अवस्थिति (अवस्थितिया) संख्याक (संख्याएं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	निर्भित क्षेत्र(वर्ग फुट में कुल माप)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्या विरासत ने आई संपत्ति है(हाँ या नहीं)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क्रय के समय भूमि की लागत(क्रय की दशा में)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विकास संनिर्माण आदि के नाथ्यन से भूमि पर कोइ विनिधान	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अनुमानित चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(VI)	पूर्वोक्त (I) से(V) का कुल चालू बाजार मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(8) में, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के बांहे नीचे देता हूँ—

(टिप्पणी: कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यांगों का पृथक विवरण दें)

क्रम सं.	विवरण	रखयं	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
(I)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पूर्वोक्त वर्णित से भिन्न किन्हीं अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य दायित्व	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

SYED ALAMWAH HUSSAIN

N.C.T. KARACHI
Araria

**A No 15
41/08**

	दायित्वों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	सरकारी शोध्य: सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	जल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	पियुस आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सरकारी परियहन (वायुयान और हेलिपोर्टर राहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	आय-कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	धनकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	सेवाकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	विक्रयकर शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कोई अन्य शोध्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	व्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

(9) वृति या उपजीविका के ब्यौरे:

(क) स्वयं रमाज सवा

(ख) पति या पत्नी शून्य

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीच दिये अनुसार है:-

(1) मैट्रिक - पाठ्यहाँ उच्च विद्यालय रक्त 1990 (विद्र विद्यालय परिषा समीक्षी खटना)

(2) इण्टर विज्ञान - लोटीय कैल्बी मुज़्ज. (विद्र विद्यालय मुज़्ज.)

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाद्यक्रम के पूर्ण प्ररूप का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा के ब्यौरे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाद्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरा दें)

SYED ALAMDAR Hussain

भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में लिए गये व्यौरे का उद्दहरण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/ श्रीमती/ कुमा० सैयद अलमदार हुसैन			
2	डाक का पता	ग्रा. सीपाढ़पुर, पो. भीखनपुर थाना- अदीगढ़पुर, जिला- मुजफ्फरपुर			
3	संरक्षण क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	9 अररीझा, फिरार			
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को खड़ा किया है(अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	स्वतंत्र			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं	शून्य			
	(ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर मद (i) में उल्लिखित मामलों से बिन्न)	शून्य			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के लिए कारावास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	शून्य			
7 का स्थायी लेखा सं०	वह वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गयी है।	कुल दर्शित आय		
(क)	अभ्यर्थी	A8ZPH 9284P	2012 - 2013	₹ 146000	
(ख)	पति या पत्नी	शून्य	शून्य	शून्य	
(क)	आक्रित	शून्य	शून्य	शून्य	
8	आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे (रुपये में)				
विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आक्रित-1	आक्रित-2	आक्रित-3
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख	स्थावर आस्तियां	₹ 30000	शून्य	शून्य	शून्य

SYED ALAMDAAR Hussain

	I.	स्वार्जित स्थावर संपति की क्रय कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपति की विकास/ संनिर्गण लागत (यदि लागू हो)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	III.	निम्नलिखित की अनुमानित मूल्यानुमान बाजार कीमत	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(क)	स्वार्जित आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ख)	विरासती आस्तियां (कुल मूल्य)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
9		दायित्व					
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
10		ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
	(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
11		उच्चतम शैक्षिक अर्हता:					
		(1) मेट्रीक - यौथदौ उच्च विद्यालय - 1990					
		(2) इंटर - लौटीगा कॉलेज मुजफ्फरपुर 1992					
		(प्रमाणपत्र/डिलोमा/डिग्री के पूर्ण प्रलेप का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का व्यौरं दे।)					

SYED ALAMDAAR HUSSAIN



मैं उपर उल्लिखित अभिराक्षी द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूं कि इस शपथपत्र की विषय-दस्तु मेरी ~~संवैत्तम जानकारी~~ और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग गिराया नहीं है तथा इसमें से कोई भी तारिख ~~11/11/14~~ नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूं कि:-

~~Notary~~ के नाम पर उल्लिखित भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामले से भिन्न कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

~~Sh. 2018 Syed Alamdar Hussain~~

~~who is 17 years old now~~
मेरी जैसी या पत्नी या मेरे आक्रितों के पास उपर भाग क की नद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8,9
और 10 में उल्लिखित आस्ती या दायित्व से भिन्न कोई आस्ती या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 02-04-14 को सत्यापित किया गया। 4/2/14
M.K.AKHTAR SYED ALAMDAR HUSSAIN
NOTARY
ARARIA (BIHAR)

टिप्पणी: 1. शपथपत्र नामांकन फाइल करने के अंतिम दिन को 3.00 बजे अपराह्न तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पणी: 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कमिशनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पणी: 3. सभी स्तंभों को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़े, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथारित "शून्य" या "लागू नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पणी: 4. शपथपत्र टकित या सुपार्वरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पणी: 5. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेस इंडिया द्वारा भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के मामले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गए न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जांच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु रमार देंगे। माननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी गद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो "शून्य" या "लागू नहीं" या "ज्ञात नहीं" जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी रमार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अर्वीकृत कर दिये जायेंगे।